नवीन योजना :– राज्य भूजल संरक्षण मिशन
(Concept Note)

पृष्ठ भूमि (Background)

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। यहॉ कृषि हेतु सिंचाई के लिये लगभग 70 प्रतिशत तक निर्भरता भूगर्भ जल पर ही है। वहीं पेयजल सेक्टर एवं औद्योगिक सेक्टर हेतु लगभग 80 प्रतिशत जल की आपूर्ति भूगर्भ जल से ही की जाती है। विगत वर्षो में बढ़ती जनसंख्या एवं औद्योगिकीकरण के कारण जिस तरह से भूगर्भ जल स्रोतों का अनियंत्रित एवं अन्धाधुन्ध दोहन किया जा रहा है। इससे प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर में उल्लेखनीय (Significant) गिरावट परिलक्षित हुई है, जिससे वर्तमान में भूगर्भ जल स्रोत संकटाकीर्ण (Stressed) स्थिति में पहुंच गये हैं।

प्रदेश में वर्ष 2000 के भूजल संसाधन आंकलन के अनुसार मात्र 20 विकासखण्ड ही अतिदोहित/क्रिटिकल श्रेणी में सूचीबद्ध थे, जिनकी संख्या वर्ष 2004 के आंकलन में 50 पहुंच गयी थी, जबकि वर्ष 2009 के भूजल संसाधन आंकलन के अनुसार अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों की संख्या 108 थी। वहीं वर्ष 2013 के नवीन आकलन के अनुसार यह संख्या बढ़कर 172 हो गयी है। जबकि 45 विकासखण्ड सेमी क्रिटिकल श्रेणी में सूचीबद्ध किये गये हैं। इस प्रकार अतिदोहित विकासखण्डों की संख्या में विगत 13 वर्षो में लगभग 12 गुना की वृद्धि हुई है।

प्रदेश में भूजल संसाधनों की संकटीकीर्ण स्थिति बदलते परिदृश्य एवं भावी प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए इस प्राकृतिक संसाधन के समग्र प्रबंधन को महत्व दिया जाना आवश्यक हो गया है। भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु वर्षा जल संचयन के साथ भूजल दोहन को भी नियंत्रित किया जाना आवश्यक है, साथ ही साथ भूजल संरक्षण हेतु जन–जागरूकता आवश्यक हो गया है।

विगत वर्षो तके भूजल स्थिति में हो रहे परिवर्तन को देखते हुए विभाग में वर्तमान में संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं में व्यापक संसोधन की आवश्यकता है और इन

योजनाओं को सस्टेनेवल भूजल प्रबंधन के लक्ष्यों हेतु समेकित रूप से नियोजित किये जाने की भी आवश्यकता महसूस की गयी है। इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से भूजल संसाधनों के समग्र प्रबंधन हेतु विभागों में संचालित निम्न विभिन्न योजनाओं को एकीकृत कर एक नवीन योजना '' राज्य भूजल संरक्षण मिशन'' के प्रारम्भ करने का प्रस्ताव दिया गया है।

उपरोक्त नवीन योजना **राज्य भूजल संरक्षण मिशन योजना** के अन्तर्गत वर्तमान में संचालित 5 विभागीय योजनाऐं क्रमशः (i)''भूजल स्रोतों का मानचित्रीकरण एवं भूजल स्रोतों पर पैरामीटर टेस्ट'', (ii)''जी0आई0एस0 आधारित मानचित्र तैयार करना'', (iii)''रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं रिचार्जिंग योजना'', (iv)''अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकासखण्डों में वर्षा जल संचयन'' एवं (v)''भूजल रिचार्ज की एकीकृत योजना तथा ''क्षेत्रीय भूजल हब की स्थापना'' को सम्मिलित कर एकीकृत किया गया है।

उद्देश्य (Objective) :–

मिशन के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैंः–

क– भूगर्भ जल के सटीक आकलन हेतु Comprehensive Data Base तैयार करना एवं उसे Public Domain में रखना।

ख– भूगर्भ जल के संरक्षण, संचयन एवं प्रबंधन हेतु क्षेत्रीय जनता एवं संबंधित विभागों की भागीदारी।

ग– समस्याग्रस्त क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना।

घ– भूगर्भ जल की उपयोगिता को बढ़ावा देना।

च– न्याय पंचायत स्तर पर भूगर्भ जल के संरक्षण, संचयन एवं प्रबंधन हेतु एकीकृत प्लान तैयार करना।

मिशन के उद्देश्य के प्राप्ति (कार्य योजना):–

क–भूगर्भ जल के सटीक आकलन हेतु Comprehensive Data Base तैयार करना एवं उसे Public Domain में रखना।

मिशन के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु भूगर्भ जल के सटीक आंकलन की आवश्यकता होगी एवं उक्त हेतु Comprehensive Data Base एकत्र करके एवं उसके

विश्लेषण के उपरान्त Public Domain में रखना होगा, जिससे इस सम्बन्ध में किये जा रहे किसी नियोजन में इसका प्रयोग किया जा सके। यथा–

(i) ग्रामवार/न्याय पंचायतवार भूजल संसाधनों के विकास का आंकलन (भूजल रिचार्ज, ड्राफ्ट एवं विकास)।

(ii) भूजल स्तर की जानकारी ।

(iii) भूजल स्तर मानीटरिंग नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु असंतृप्त क्षेत्रों में नये पीजोमीटर की स्थापना/अनुरक्षण।

(iv) ADWLR की स्थापना इत्यादि (Information system)।

(v) आंकलन में सुधार हेतु नये अध्ययन यथा– एक्यूफर मैपिंग, पम्पिंगटेस्ट, यील्ड टेस्ट इत्यादि। (भूजल स्रोतों का मानचित्रीकरण)

(vi) नये अध्ययन एवं निष्कर्षो को Public Domain में रखना। उक्त हेतु अन्य संस्थानों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

(vii) नये उपकरणों का क्रय।

<u>ख–भूगर्भ जल के संरक्षण, संचयन एवं प्रबंधन हेतु क्षेत्रीय जनता एवं संबंधित विभागों की भागीदारी।</u>

इस मिशन का एक मुख्य उद्देश्य भूगर्भ जल संरक्षण, संचयन एवं प्रबंधन के कार्यो हेतु क्षेत्रीय जनता एवं इस कार्य में लगे सरकारी विभागों को सम्मिलित करना, उन्हें सम्बन्धित जानकारियों से भिज्ञ करना है ताकि इससे सम्बन्धित योजनाएं बनाने एवं उन्हें उपभोग करने में इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

इस हेतु निम्न कार्य किये जाने होगें–

(i) भूगर्भ जल से सम्बन्धित सूचना तंत्र को मजबूत करना डाटा सेन्टर पर सूचनाओं को संरक्षित एवं ग्रामवार प्रचारित करना)।

(ii) सम्बन्धित विभागों एवं भूगर्भ जल का प्रयोग करने वाले क्षेत्रीय नागरिकों के बीच एक समन्वय स्थापित करवाना।

(iii) पानी पंचायत/भूजल सेना के माध्यम से कियान्वयन।

(iv) जनसहभागिता की योजनाओं को प्रोत्साहन देना।

(v) पानी की कम खपत एवं पानी के कम प्रयोगवाली योजनाओं को प्रोत्साहित करना।

(vi) प्रयोग किये गये जल को शोधित कर पुनः प्रयोग में लाये जाने पर बल देना।

(vii) NGO/ Corporate Sector को भागीदार बनाना।

(viii) भूजल सप्ताह/जन–जागरूकता कार्यक्रम।

ग–समस्याग्रस्त क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना।

वर्तमान में प्रदेश के 271 समस्याग्रस्त विकास खण्डों एवं 22 शहरी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। जिसमें 113 अति दोहति, 59 क्रिटिकल, 45 सेमीक्रिटिकल एवं 54 बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्याचल के शेष विकासखण्ड सम्मिलित है। उक्त हेतु वर्षावार योजना निम्नानुसार है :–

उक्त विकासखण्ड में निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित है :–

(i) विभन्न विभागो द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों को इन क्षेत्राों हेतु निर्देशित करना

(ii) विशेषज्ञ समिति (प्रदेश सतर) एवं तकनीकी समन्वय समिति (जनपद स्तर) के माध्यम से विभागों की योजनाओ का एकीकरण किया जाना।

(iii) परम्परागत संरचानाओं (भूगर्भ जल रिचार्ज से संबंधित) एवं विघाओं को प्रोत्साहन देना।

(iv) अधिनियम बनाकर इन क्षेत्रो में कार्य करने /कराने के लिए कहना।

(v) रेनवाटर हार्वेस्टिंग/रिचार्ज कार्यक्रम।

(vi) मास्टर प्लान/एकीकृत योजना तैयार करना।

घ–भूगर्भ जल की उपयोगिता को बढ़ावा देना।

इस मिशन का एक मुख्य उद्देश्य भूगर्भ जल के अधिकतम उपयोग हेतु इसे लगभग 20 प्रतिशत तक बढाने की भी है। इस हेतु मांग एवं सप्लाई साइड में सूक्ष बूझ के अनुसार भूगर्भ जल के उपयोग से ड्राफ्ट में 20 प्रतिशत की कमी लायी जा सकती है। इस हेतु निम्न रणनीति अपनायी जायेगी।

डिमांड साईडः–

(i) भूगर्भ जल के कम खपत वाली फसलों को प्रोत्साहन देना ।

(ii) औद्योगिक क्षेत्र में भूगर्भ जल के कम खपत वाली प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल देना।

(iii) जन साधारण को भूगर्भ जल के कम प्रयोग/बरबादी रोकने हेतु प्रोत्साहित करना/जागरूक करना।

सप्लाई साईडः–

(i) उपलब्ध जल के पूर्ण उपयोग की तकनीकी का विकास एवं जानकारी प्रदान करना।

(ii) वाटर नेचुरल/पाजिटिव तकनीकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।

(iii) माइक्रो इरिगेशन/स्प्रिंकलर/ड्रिप इरिगेशन का उपयोग।

(iv) रिसाइकिलिंग करना।

(v) जन सहभागिता द्वारा उपलब्ध जल का समुचित प्रबंधन।

(vi) क्षेत्रीय स्तर पर वाटर आडिट के आधार पर जल प्रयोग।

च–न्याय पंचायत स्तर पर भूगर्भ जल के संरक्षण, संचयन एवं प्रबंधन हेतु एकीकृत प्लान तैयार करना।

मिशन का उद्देश्य न्याय पंचायतवार/ग्राम पंचायतवार भूगर्भ जल के संरक्षण, संचयन एवं प्रबंधन हेतु एकीकृत योजना तैयार करना भी है, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा कराये जा रहे कार्यो को एकीकृत करके एक योजना तैयार की जायेगी, जिसे नीचले स्तर तक क्रियान्वित किया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नवत है :–

(i) विभिन्न योजनाओ के क्रियान्वयन हेतु मास्टर प्लान तैयार करना।

(ii) भूगर्भ जल के विकास से सम्बन्धित सभी योजनाएं जो अन्य विभागों द्वारा संचालित की जाती हैं, को एकीकृत रूप से लागू किये जाने हेतु विकासखण्डवार एकीकृत कार्य योजना तैयार करना।

(iii) उक्त हेतु सम्बन्धित मानचित्र एवं अन्य संबंधित सामग्री का प्रकाशन।

योजना जिनके द्वारा संचालित की जायेगी :–

(i) मनरेगा (MNREGA)

(ii) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

(iii) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)

(iv) बुंदेलखण्ड पैकेज।

(v) राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम

(vi) RRR

योजनाएं जिन विभागों द्वारा संचालित की जायेंगी :–

(i) ग्राम्य विकास विभाग

(ii) लघु सिंचाई विभाग

(iii) सिंचाई विभाग

(iv) पंचायतीराज विभाग

(v) भूमि विकास जल संसाधन/परती भूमि विभाग

(vi) आवास विकास/नगर विकास विभाग

(vii) पेयजल

इस मिशन के क्रियान्वयन हेतु एक निश्चित समय अन्तराल पर सभी विभागों, कार्यदायी संस्थाओं एवं हितधारकों के मध्य समन्वय (Coordination) का होना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु भूगर्भ जल विभाग नोडल एजेंसी के रूप में, टी0सी0सी0 जनपद स्तर पर एवं प्रदेश स्तर पर एक विशेसज्ञ समिति इसका अनुश्रवण करेगी।

वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्जिंग हेतु विस्तृत कार्य योजना का तैयार किया जाना :–

प्रदेश के संकटाग्रस्त विकासखण्डों एवं शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्थिति, हाइड्रोजियोलाजी इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए भूजल रिचार्जिंग हेतु विभिन्न कार्यक्रम यथा तालाबों का निर्माण/जीर्णोद्धार, रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मेडबन्दी, चेकडेम का निर्माण, वृक्षारोपण इत्यादि का क्रियान्वयन विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं/विभागों द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें सर्वप्रथम सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा वर्तमान तक निर्मित प्रभावी भूजल रिचार्जिंग संरचनाओं का विवरण प्राप्त करते हुए संकटाग्रस्त विकासखण्डों को सुरक्षित श्रेणी में लाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना बनाई जानी होगी।

*****